संख्या-438 / XVII(4)/2019-5(8)/2019

प्रेषक,

राधा रतूडी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
आई0सी0डी0एस0,
उत्तराखण्ड देहरादून।

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास अनुभाग   देहरादून: दिनांक 06 मई, 2019

विषयः– मुख्यमंत्री "आंचल अमृत योजना" के तहत प्रदेश के समस्त आंगनबाड़ी केन्द्रों में 03–06 वर्ष के बच्चों के उपयोगार्थ डेरी विकास विभाग उत्तराखण्ड के माध्यम से सुगन्धित फोर्टीफाईड मिल्क उपलब्ध कराये जाने की कार्ययोजना/संचालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विभाग के अंतर्गत समस्त आंगनबाड़ी केन्द्रों में आने वाले 03–06 वर्ष तक के बच्चों के पोषण एवं स्वास्थ्य में सुधार लाने, कुपोषण की दर को कम किये जाने, आंगनबाड़ी केन्द्रों में बच्चों की संख्या में वृद्धि किये जाने तथा बच्चों को पौष्टिक आहार के रूप मे फोर्टीफाईड मीठा सुगंधित स्किमड मिल्क पाउडर के रूप में अनुपूरक स्वादपरक भोजन उत्तराखण्ड सहकारी डेरी फैडरेशन लि0 के माध्यम से दिये जाने के दृष्टिगत **मुख्यमंत्री "ऑचल अमृत योजना"** (राज्य योजना) की कार्ययोजना/संचालन की निम्नलिखित प्रतिबन्धों एवं शर्तो के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

I. स्कूल पूर्व शिक्षा के अन्तर्गत 03–06 वर्ष तक के बच्चों को समस्त आंगनबाड़ी केन्द्रों पर स्कूल पूर्व शिक्षा प्रदान की जाती है, जिसका उद्देश्य बच्चों को आनन्दपूर्ण वातावरण में रखना व सिखाना है। स्कूल पूर्व शिक्षा के अन्तर्गत 06 वर्ष तक के बच्चों के पोषण एवं स्वास्थ्य में सुधार, कुपोषण, मृत्यु दर एवं स्कूल छोड़ने की प्रवृत्ति को कम करने के दृष्टिगत **मुख्यमंत्री "ऑचल अमृत योजना"** (राज्य योजना) के संचालन किये जाने से पूर्व **प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड सहकारी डेरी फैडरेशन लि0 एवं निदेशक, आई0सी0डी0एस0 के मध्य एम0ओ0यू0** गठित करते हुए अन्य सभी औपचारिकताओं को नियमानुसार पूर्ण किया जायेगा।

II. प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्रों में आने वाले बच्चों को सप्ताह में 02 दिन (मंगलवार एवं शुक्रवार) प्रति बच्चा/लाभार्थी 100ML दुध अर्थात् 10 ग्राम फोर्टीफाईड मीठा सुगंधित दुग्ध चूर्ण सम्बन्धित आंगनबाड़ी कार्यकत्री/सहायिका द्वारा दुग्ध वितरण किये जाने से पूर्व Lab Test की ok रिपोर्ट के आधार पर तथा दुग्ध पाउडर के पैकेट में अंकित Manufacturing Date & Expiry Date को अनिवार्य रूप से जांच परख कर स्वच्छता पूर्वक तैयार करते हुए वितरित किया जायेगा तथा दुग्ध पैकेट में किसी भी तरह की कमी पाये जाने पर उनके द्वारा तत्काल सुपरवाईजर, बाल विकास परियोजना अधिकारी एवं उच्च अधिकारियों को लिखित में सूचित किया जायेगा।

III. उक्त योजना के अंतर्गत मिल्क पाउडर स्टोरेज के लिए प्लास्टिक के डिब्बे, नापने वाली प्लास्टिक चम्मच और बच्चों को दुग्ध वितरित किये जाने से पूर्व स्वच्छ दस्तानो (Gloves) का प्रयोग किया जायेगा।

IV. उक्त योजना के अंतर्गत निदेशक, आई0सी0डी0एस0 द्वारा जनपद स्तरीय कमेटी का गठन किया जायेगा तथा उक्त कमेटी द्वारा समय–समय पर बच्चों को केन्द्रों में वितरित किये जाने वाले दुग्ध की गुणवत्ता, सुपरविजन एवं अनुश्रवण किया जायेगा, जिसके लिए वे पूर्ण रूप से स्वंय उत्तरदायी होगें।

V. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019–20 में आय–व्ययक के अन्तर्गत अनुदान संख्या–15 के लेखाशीर्षक–2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण–02–समाज कल्याण–102–बाल कल्याण–18–मुख्यमंत्री "आंचल अमृत योजना" के मानक मद–42–अन्य व्यय से वहन किया जायेगा।

2– अतः उक्त योजना के क्रियान्वयन/संचालन हेतु उल्लिखित दिशा–निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करना सुनिश्चित करें।

DD (NNM)
कृपया निर्देशानुसार कार्यवाही करें,

भवदीया,

(राधा रतूड़ी)
अपर मुख्य सचिव।

निदेशक
आई.सी.डी.एस.
उत्तराखण्ड, देहरादून

संख्या-———(1)/XVII/2019-5(8)/2019 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
2. निजी सचिव, मा0 विभागीय मंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. निजी सचिव, सचिव, डेरी, उत्तराखण्ड शासन।
6. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड सहकारी डेरी फैडरेशन लि0, मंगल पडाव, हल्द्वानी, जिला नैनीताल।
7. समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी / बाल विकास परियोजना अधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. गार्डफाईल।

आज्ञा से,

(लक्ष्मण सिंह)
संयुक्त सचिव।